भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1026
दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को उत्तर देने के लिए

महिला सशक्तीकरण योजनाएं

1026. डॉ. कडियम काव्य:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वारंगल, तेलंगाना में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला शक्ति केंद्र के तहत लागू की जा रही महिला सशक्तीकरण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों और पोषण/प्रारंभिक बाल देखभाल की स्थिति क्या है;

(ग) पोषण अभियान के तहत बाल पोषण कार्यक्रमों का बाल विकास निगरानी सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) किए गए हिंसा निवारण उपायों का ब्यौरा क्या है और उक्त राज्य/जिले में स्थापित वन-स्टॉप सेंटर/हेल्पलाइन सहित का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना बाल लिंगानुपात (सीएसआर) और बालिकाओं व महिलाओं के सशक्तीकरण के मुद्दे का समाधान करने में सहायता करता है। यह योजना विभिन्न हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर

बालिकाओं के प्रति मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना का उद्देश्य बहु-क्षेत्रीय कार्यकलापों के माध्यम से बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा की दिशा में काम करना है, जिसमें बुनियादी स्तर पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों अर्थात बालिकाओं में खेलों को बढ़ावा देना, पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के बारे में जागरूकता और बालिकाओं का कौशल विकास आदिपर अधिक खर्च को प्रोत्साहित किया जाता है। बीबीबीपी तेलंगाना राज्य के सभी जिलों में लागू की जा रही है, जिसमें वारंगल जिला भी शामिल है। बीबीबीपी सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को संगठित करके एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई है। इस आंदोलन का उद्देश्य न केवल लिंग अनुपात और लिंग आधारित भेदभाव से संबंधित तात्कालिक मुद्दों का समाधान करना है, बल्कि बालिकाओं को महत्व देने तथा उनके अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देना भी है।

महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) योजना नवंबर, 2017 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अनुमोदित की गयी थी जिसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। नीति आयोग द्वारा 2020 में एमएसके योजना का एक तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। मूल्यांकन के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा हितधारकों के परामर्श के बाद, इस योजना को 01.04.2022 से समाप्त कर दिया गया था।

हालाँकि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तेलंगाना राज्य सहित पूरे देश में 01.04.2022 से 'मिशन शक्ति' नामक एक व्यापक योजना क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए कार्यकलापों को मज़बूत करना है। 'मिशन शक्ति' की दो उपयोजनाएं हैं: महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'संबल' और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 'सामर्थ्य' है।

'मिशन शक्ति' की उप-योजना 'सामर्थ्य' के अंतर्गत एक घटक, "महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)", मिशन शक्ति योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण इकाई के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य कर रहा है। एचईडब्ल्यू केंद्र महिला केंद्रित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और कानूनों से संबंधित जानकारी के प्रसार हेतु जागरूकता गतिविधियों, शिविरों और अभियानों के आयोजन के माध्यम से व्यापक पहुँच और जागरूकता फ़ैलाने में भी जुटे हैं।

संकल्प: एचईडब्ल्यू के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक डीएचईडब्ल्यू है और वर्तमान में, वारंगल जिले सहित तेलंगाना राज्य के सभी 33 जिलों में एचईडब्ल्यू कार्यशील हैं।

(ख) और (ग): सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक खंडों में: (i) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष] तथा (iii) अंतिम लाभार्थी तक बेहतर पोषण प्रदान करने के लिए आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है ।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर समाधान करने के लिए विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को शिशु विकास मापक यंत्र, स्टेडियोमीटर, शिशु वजन मापने वाला यंत्र, मातृ एवं शिशु वजन मापने वाला यंत्र जैसे विकास निगरानी उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। वर्तमान में तेलंगाना राज्य में कुल 35,769 आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं।

देश भर में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) के माध्यम से आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली छह निःशुल्क सेवाओं में ईसीसीई एक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है। इस महत्वपूर्ण अवधि के महत्व को समझते हुए, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा घटक में बच्चे के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास; मांसपेशियों के समन्वय और बुनियादी मोटर कौशल के विकास; सौंदर्यबोध, स्वतंत्रता और रचनात्मकता; अच्छी स्वस्थ आदतों के लिए विद्यालय-पूर्व शिक्षण सामग्री का प्रावधान शामिल है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत, सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसी गतिविधियों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने और स्वास्थ्य, आरोग्यता एवं प्रतिरक्षा में सुधार हेतु एक नई कार्यनीति बनाई गई है। यह कार्यनीति आयुष पद्धतियों के माध्यम से मातृ पोषण, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार मानकों, तीव्र गंभीर कुपोषण (एसएएम)/ गंभीर मध्यम कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आरोग्यता पर केंद्रित है ताकि कुपोषण, बौनापन, रक्ताल्पता और अल्प वजन की व्याप्तता को कम किया जा सके। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पका हुआ गर्म भोजन और टेक-होम राशन के रूप में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के अंतर-पीढ़ीगत चक्र को समाप्त किया जा सके।

(घ): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल उप-योजना का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही जगह पर एकीकृत सहयोग और सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता तथा मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। आज तक, देश भर के प्रत्येक जिले में स्वीकृत 1025 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) में से, पूरे देश में 864 ओएससी कार्यशील हैं। अब तक, तेलंगाना राज्य में 36 ओएससी स्वीकृत किए गए हैं और सभी कार्यशील हैं। इसकी शुरुआत, यानी 1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2025 तक 12.67 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है, जिसमें तेलंगाना राज्य की 77,858 महिलाएँ शामिल हैं।

महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल): महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) भी मिशन शक्ति के अंतर्गत एक घटक है। डब्ल्यूएचएल का उद्देश्य महिलाओं को टेलीफोनिक शॉर्ट-कोड 181 के माध्यम से 24X7 आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करना जिसके लिए है, जिसके लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ईआरएसएस-112, वन स्टॉप सेंटर और बाल हेल्पलाइन 1098 के साथ एकीकृत किया गयाहै। वर्तमान में, डब्ल्यूएचएल 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में कार्यशील है और इसकी स्थापना के बाद, यानी 1 अप्रैल, 2015 से 30 सितंबर, 2025 तक 93.48 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है, जिसमें तेलंगाना राज्य की 76,444 महिलाएँ शामिल हैं।

****